रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248504
CG-DL-E-02092023-248504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945
No. 508] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005, के नियम 3 में,-

(i). उप-नियम (1) में, खंड (क) के, उप-खंड (i) में, "कैप्टिव प्रयोक्ता" शब्दों के स्थान पर, "कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं)" शब्द रखे जाएंगे;

(ii). उप-नियम (1) में, खंड (क) के, उप-खंड (i) के तद्धीन परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii). स्पष्टीकरण के, खंड (ख) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि कोई कंपनी, जो एक कैप्टिव प्रयोक्ता है, की, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में यथापरिभाषित सहायक कंपनी या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) में यथापरिभाषित धारित कंपनी द्वारा किया गया उपभोग भी कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा किए गए कैप्टिव उपभोग के रूप में स्वीकार्य होगा।";

(iv). उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) ऐसे उत्पादन संयत्रों की कैप्टिव प्रास्थिति, जहां कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और उसके कैप्टिव प्रयोक्ता एक से अधिक राज्यों में अवस्थित हैं, का सत्यापन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।"।

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम वर्ष 2005 में, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि 558 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Electricity (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity Rules, 2005, in rule 3,-

(i) in sub-rule(1), in clause (a), in sub-clause(i), for the words "captive user", the words "captive user(s); and" shall be substituted;

(ii) in sub-rule(1), in clause (a), in sub-clause(i), the proviso there under shall be omitted;

(iii) in Explanation, in clause (b), for second proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that the consumption by a subsidiary company as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the holding company as defined in clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), of a company which is a captive user, shall also be admissible as captive consumption by the captive user.";

(iv) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The captive status of such generating plants, where captive generating plant and its captive user(s) are located in more than one state, shall be verified by the Central Electricity Authority as per the procedure issued by the Authority with the approval of the Central Government.".

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal Rules were published 2005 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and was last amended vide G.S.R 558 (E), dated the 26th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.02 15:18:31 +05'30'